>

Title: Regarding need to take necessary measures to include Kharwar-Bhogta community in the list of Scheduled Tribes -laid.

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा): झारखण्ड राज्य के सात जिलों सहित पश्चिम बंगाल तथा ओड़िसा राज्य में खरवार जाति लगभग 70 वर्षों से अपनी मूल पहचान से वंचित हैं। भोगता समाज अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मूल पहचान खोने के कारण भोगता समाज की सामाजिक, आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। खरवार समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक संविधान संशोधन विधेयक (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन) विधेयक 2020 भी प्रस्तावित था जो कि अभी लंबित है। भारत के महारजिस्ट्रार और अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करने के पश्चात् कई अन्य राज्य सहित झारखण्ड राज्य के भोगता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अंतरित करने से सम्बंधित है। अतः भारत सरकार से मांग है कि संविधान संशोधन विधेयक (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन) विधेयक 2020 को सदन से पारित कराये जाने के लिए सकारात्मक कदम उठाया जाए।